Title: Introduction of the Representation of the People (Amendment) Bill,1998 (Insertion of new section 8B)
15.53 hrs.
श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
MR. CHAIRMAN: The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."
The motion was adopted.
श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 2,dt.2.6.98